भोगराज पुत्र अमर लाल

दिनांक हुक्म	कार्यवाही
25/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय से वादी एवं वकील वादी को रनक-रनक कर तीन मरतबा आवाज पुकारकर गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं। इनके पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी को तलबी पत्र करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने तथा 16/23 एवं 19.9.22 को दो बार अन्तिम अवसर प्रदान करने पर भी तलबी नोटिस पेश नहीं किये गये। अतः न्यायालय आदेश-9 नियम 3 व 5 से वाद खारिज करना उचित समझता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर वाद वापस वकील दाखिल वापस हो।